रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2005/अग्रहायण 8, 1927
No. 153] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2005/AGRAHAYANA 8, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2005

सं. 310-3(1)/2003-इको.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(बी)(i) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे निम्नानुसार संशोधन करता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (इकतालीसवां संशोधन) आदेश, 2005 (2005 का 9)" कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश, इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन क़ी तारीख से प्रभावी होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची X में कॉलम '(1) कार्यान्वित किए जाने की तारीख' के सामने "अलग से अधिसूचित की जाने की तारीख से" शब्दों के स्थान पर "29.11.2005" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. सामान्य

इस आदेश के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

इस आदेश के अनुलग्नक 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

आदेशानुसार,

एम. कन्नन, सलाकहार (आर्थिक)

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/142/05]

टिप्पण :—1. 8-9-2005 की अधिसूचना सं. 310-3(1)/2003-इको. के माध्यम से दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में अनुसूची X जोड़ी गई थी।

2. 16-9-2005 की अधिसूचना सं. 310-3(1)/2003-इको. के माध्यम से कॉलम '(1) कार्यान्वित किए जाने की तारीख' के सामने '16-9-2005' अंकों के स्थान पर "अलग से अधिसूचित की जाने की तारीख से" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।

अनुलग्नक 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्राधिकरण ने 8 सितम्बर, 2005 को दूरसंचार टैरिफ आदेश (उन्तालीसवां संशोधन) अधिसूचित किया था। मैसर्स विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इस टैरिफ आदेश को अपील सं. 10/2005 के माध्यम से 12 सितम्बर, 2005 को भारतीय दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपील अधिकरण (टीडीसैट) में चुनौती दी।

2. टीडीसैट में उक्त अपील की सुनवाई 14 सितम्बर, 2005 को हुई। अधिकरण ने 14.09.2005 के अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादित अधिसूचना को तब तक आस्थगित रखा जाए जब तक अधिकरण द्वारा इस मामले में निर्णय नहीं दे दिया जाता और इस कारण प्राधिकरण ने टीटीओ, 1999 में चालीसवें संशोधन के रूप में दूसरा टैरिफ आदेश अधिसूचित किया।

3. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद माननीय टीडीसैट ने अपने दिनांक 28.11.2005 के आदेश में वीएसएनएल द्वारा दायर अपील निरस्त कर दी है और यह निदेश दिया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना को तत्काल प्रभावी किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ में और विलंब न हो। अतः ट्राई द्वारा 08.09.2005 को टीटीओ में किए गए उन्तालीसवें संशोधन के माध्यम से विनिर्दिष्ट आईपीएलसी से संबंधित टैरिफ आदेश को लागू करने के लिए यह आदेश जारी किया जा रहा है। ये टैरिफ 29.11.2005 से प्रभावी होंगे।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2005

No. 310-3(1)/2003-Eco.—In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section (2) of the Section 11 read with Section 11(1)(b)(i) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India, hereby further amends the Telecommunication Tariff Order, 1999 as under, namely :—

1. Short title, extent and commencement:

(i) This Order shall be called " The Telecommunication Tariff (Forty First Amendment) Order, 2005" (9 of 2005).

(ii) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule X of the Telecommunication Tariff Order, 1999 the figures "29-11-2005" shall substitute the words "from a date to be notified separately" against the column '(1) Date of implementation.'

3. General

In case of any doubt with regard to the interpretation of any provision of this Order, the decision of the Authority shall be final.

This order contains at Annexure –A, an Explanatory Memorandum, which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

By Order,

M. KANNAN, Advisor (Economic)

[ADVT-III/IV/Exty/142/05]

Foot Note :—1. Schedule X inserted in the Telecommunication Tariff Order, 1999 *vide* notification No. 310-3(1)/2003-Eco. dated 8-9-2005.

2. The figures '16-9-2005' against the column '(1) Date of implementation' substituted by the words 'from a date to be notified separately' *vide* notification No. 310-3(1)/2003-Eco. dated 16-9-2005.

Annexure –A

Explanatory Memorandum

1. The Authority had notified the Telecommunication Tariff (39th Amendment) Order on 8th September 2005. M/s Videsh Sanchar Nigam Limited challenged this tariff order in Hon'ble Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) on 12th September 2005 vide Appeal No. 10/2005.

2. The said appeal came up for hearing before the TDSAT on 14th September 2005. The tribunal vide its order dated 14.09.2005 ordered that the impugned notification be kept in abeyance till a decision in the case is given by the Tribunal and the Authority had notified another Tariff Order vide 40th Amendment to TTO, 1999 to this effect.

3. The Hon'ble TDSAT after hearing the arguments of both the Parties, vide its order dated 28.11.05 dismissed the appeal filed by VSNL and directed that the Notification be brought into effect immediately by TRAI so that the benefit of the Notification to the consumer is not delayed further. Hence this Order is issued to give effect to Tariff Order for IPLC as specified by TRAI vide 39th Amendment to TTO dated 8.9.2005. These tariffs will take effect from 29.11.2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054